

## प्रेस नोट दिनांक 16.11.2024, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

### दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी  
दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार  
थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त व अभियुक्ता को बाबा बेलखरनाथ धाम पुल से गिरफ्तार किया गया

#### घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी के साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो को वायरल करने संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर में धारा 351(2), 64, 61(2) बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट व धारा 67 आईटी एक्ट बनाम 07 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना प्रभारी उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव मय हमराह कां0 विनोद कुमार, महिला आरक्षी वन्दना थाना दिलीपपुर द्वारा अभियुक्त विनोद सरोज पुत्र रामकिशुन सरोज निवासी ग्राम जगदीशगढ़ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ व 01 अभियुक्ता को दिनांक 16.11.2024 को बाबा बेलखरनाथ धाम पुल से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त विनोद सरोज व 01 अभियुक्ता को विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 351(2), 64, 61(2) बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट व धारा 67 आईटी एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01- विनोद सरोज पुत्र रामकिशुन सरोज निवासी ग्राम जगदीशगढ़ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।  
02- 01 अभियुक्ता।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना प्रभारी उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव मय हमराह कां0 विनोद कुमार, महिला आरक्षी वन्दना कुमारी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

### लोकसेवक के साथ अभद्रता/ सरकारी कार्य में बाधा डालने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी  
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,  
लोकसेवक के साथ अभद्रता/ सरकारी कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार  
थाना फतनपुर पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के गीतानगर नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

### **घटना का संक्षिप्त का विवरण-**

दिनांक 15.11.2024 को आरोपी द्वारा थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत रामापुर बाजार में यातायात/शांति व्यवस्था/ पैदल गश्त के दृष्टिगत ड्यूटी पर तैनात लोकसेवक के साथ अभद्रता/ सरकारी कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 244/2024 धारा 115(2), 352, 351(2), 351(3), 121(1), 121(2), 132, 109 बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर के प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार राय के नेतृत्व में शांति व्यवस्था ड्यूटी/चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक के साथ आरोपी द्वारा अभद्रता करने/सरकारी कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में उ0नि0 प्रभांशू कुमार राय मय हमराह हे0कां0 राजेश यादव, कां0 विवेक यादव द्वारा अभियुक्त विनय कुमार उपाध्याय पुत्र रामलौट उपाध्याय उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम उपाध्याय का पुरा रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत गीतानगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

अभियुक्त विनय कुमार उपाध्याय पुत्र रामलौट उपाध्याय उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम उपाध्याय का पुरा रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

**बयान-** सरकारी कार्य में बांधा डालना एवं दुर्व्यवहार करना दण्डनीय अपराध है। ऐसे अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों/ व्यक्तियों को इस प्रकार के अपराध कारित करने से रोकना चाहिए व बच्चों को जागरूक किया जाना आवश्यक है।

एसपी के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी।

01 अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

एसपी(पश्चिमी) व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में थाना महेशगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

अभियुक्त का सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र के साथ फोटो हुआ था वायरल।

01 अवैध तमंचा 12 बोर बरामदा।

थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत झींगुर तिराहा के पास धमोहन मोड़ के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण।**

सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र के साथ 01 व्यक्ति का फोटो वायरल हुआ था। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार वायरल फोटो की जांच कर थाना महेशगंज पुलिस को कार्यवाही करने हेतु दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में 01 अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में,

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के निकट मार्गदर्शन में दिनांक 16.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक महेशगंज श्री अमला सिंह यादव के नेतृत्व में उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह हे0 कां0 योगेन्द्र यादव, कां0 राहुल कुमार, कां0 रामप्रकाश थाना महेशगंज द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वांछित वारण्टी अभियुक्त की तलाश हेतु चेकिंग के दौरान, झींगुर तिराहा के पास धमोहन मोड़ के पास से 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया

अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 238/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कुलदीप यादव पंजीकृत किया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- कुलदीप यादव पुत्र शंकर लाल यादव निवासी ग्राम निवासी ग्राम बल्ला थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

### बरामदगी:-

01 अवैध तमंचा 12 बोर ।

### पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 238/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कुलदीप यादव उपरोक्त ।

### पुलिस टीम -

उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह हे0 कां0 योगेन्द्र यादव, कां0 राहुल कुमार, कां0 रामप्रकाश थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी आरोपी द्वारा वादी की पुत्री को अपहरण कर दुष्कर्म करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना अन्तू पुलिस टीम द्वारा खैरागौरवारी मोड़ से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

### घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 23.03.2023 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 366, 376(3) भादवि व धारा 5जे(2)/6 पॉक्सो े एक्ट व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री आनन्द कुमार भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप कुमार हमराह का0 नागेन्द्र यादव का0 उपेन्द्र यादव द्वारा अभियुक्त रवि मिश्रा पुत्र स्व0 लल्लन मिश्रा नि0 ग्राम ननैया राहाटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 16.11.2024 को थानाक्षेत्र अन्तू के खैरागौरवारी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त रवि मिश्रा को धारा 363, 366, 376(3) भादवि व धारा 5जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि मिश्रा पुत्र स्व0 लल्लन मिश्रा नि0 ग्राम ननैया राहाटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 प्रदीप कुमार हमराह का0 नागेन्द्र यादव, का0 उपेन्द्र यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

**थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-  
एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-  
गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

**थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के धनराज कुंवर बालिका विद्यालय से नागापुर जाने वाला खडन्जा ग्राम सरायभूपति के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना जेठवारा के थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 15.11.2024 को उ०नि गणेशदत्त पटेल मय हमराह हे०का० हेमन्त कुमार, का० पुष्पेन्द्र व का० दिनेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत धनराज कुंवर बालिका विद्यालय से नागापुर जाने वाला खडन्जा ग्राम सरायभूपति के पास से 01 व्यक्ति प्रदीप सिंह पुत्र सुरेश बहादुर सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी बगियापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप सिंह उपरोक्त के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामदगी के आधार पर थाना जेठवारा में मु०अ०सं० 275/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1- प्रदीप सिंह पुत्र सुरेश बहादुर सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी बगियापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

उ०नि गणेशदत्त पटेल मय हमराह हे०का० हेमन्त कुमार, का० पुष्पेन्द्र व का० दिनेश यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई के उ०नि० श्री सुभाष चन्द्र मय हमराह का० हरीश दक्ष द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एसटी नं० 181/23, मु०अ०ं०स० 514/2020 धारा 354क, 366, 504,506 भादवि व 11/12 पॉक्सो एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र रामराज निवासी ग्राम धर्मपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

### **अभियुक्त का विवरण-**

बृजेश कुमार पुत्र रामराज निवासी ग्राम धर्मपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

### **पुलिस टीम-**

उ०नि० श्री सुभाष चन्द्र मय हमराह का० हरीश दक्ष थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।